न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 194 / 2019 निर्णय दिनांकः– 16-07-2025
(जीसीएमएस संख्या 2019 / 00341)

1. कासम खां पुत्र श्री जुम्मेखां जाति मुसलमान निवासी गांव सम्मेवाला चक नम्बर 4 डीएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. श्री बिशनाराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गांव बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।
3. नूरा खातून पत्नी अल्लार खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 एसएमडी सम्मेवाला हाल आबाद चक 4 डीएमए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
4. आशा खातून पत्नी अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी चक 7 एसएमडी सम्मेवाला हाल आबाद चक 4 डीएमए तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30–04–2018
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 30–04–2018 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमिहीन श्रेणी से अन्यत्र भूमि देने में वादगत भूमि विशेष / मोहरबंद आंवटन की श्रेणी की

राजस्व अपील अधिकारी,
बीकानेर

भूमि आवंटन की गई। अपीलांट की प्राथमिकता होते हुए अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 4 डीएम ए के मुरब्बा नम्बर 64/36 की 14.12 बीघा व मुरब्बा नम्बर 64/52 की 7.08 बीघा कुल तादादी 22 बीघा कमाण्ड भूमि मोहरबंद/विशेष आवंटन हेतु आरक्षित था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्रावली भूमिहीन श्रेणी की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दोहरे आवंटन की श्रेणी का आवंटन मानकर अन्यत्र भूमि देने का आदेश किया है। जबकि नियमानुसार अन्यत्र भूमि समान श्रेणी में ही दी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना सिर्फ विधि की अवहेलना की है जबकि राजकीय हानि भी कारित की है क्योंकि भूमिहीन श्रेणी एवं विशेष श्रेणी की भूमि की राजकीय दरों में काफी अंतर है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मूल पत्रावली में भी कहीं भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन नहीं किया गया है ना ही मूल पत्रावली की आदेशिका में कोई अंकन है। लेकिन इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि दिनांक 24–03–2002 को प्रार्थी को चक 4 आरएम के मुरब्बा नम्बर 119/49 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। लेकिन उक्त आवंटित भूमि अन्य काश्तकार को आवंटन होने/मोहरबंद गजट में प्रकाशित होने के कारण प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद नहीं हो सका। इस कारण प्रार्थी को आवंटित भूमि डबल आवंटन होने के कारण प्रार्थी को सामान्य आवंटन की अन्यत्र भूमि आवंटन करने की कृपा करे। उक्त प्रार्थना पत्र किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मार्क नहीं किया गया है एवं ना ही प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई दिनांक अंकित की गई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका 25–04–2018 को अंकन किया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। जिस पर आवंटन अधिकारी ने अपनी आदेशिका में अंकन किया है कि प्रार्थी के नाम मिसल संख्या 8776/84 पात्रता 22 बीघा कमाण्ड चक 4 आरएम के मुरब्बा नम्बर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

119/49 की 19 बीघा कमाण्ड व 6 बीघा अनकमाण्ड की पर्ची निकली हुई है। आदेशिका में आवंटन का कोई विवरण नहीं है, सहवन से विवरण अंकित नही हुआ होना प्रतीत होता है। आवंटन अधिकारी के इसी कृत्य पर संदेह उत्पन्न होता है। अपीलांट ने वादगत भूमि के बाबत विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जिस पर आदिनांक तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा इसी भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से अपीलांट प्रस्तुत अपील में हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई विचारण किये बिना ही अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने वादगत भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलांट आवंटन अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने का इंतजार करता रहा। दिनांक 04–10–2019 को रेस्पोडेन्ट के भूमि पर कब्जा करने की नियत से अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी हुई। जानकारी के दिन से प्रतिलिपि हेतु आवेदन देने पर ज्ञात हुआ कि आवंटन की पत्रावलियां जिला कलेक्टर को पेषित की जा चुकी है। दिनांक 11–12–2019 को प्रतिलिपि प्राप्त होने पर जानकारी के दिन से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन आदेश से अपील प्रस्तुत किये जाने में अत्यधिक विलम्ब नहीं होने व एकतरफा तौर पर आदेश पारित होने के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत भूमि चक 4 डीएमए के मुरब्बा नम्बर 64/36 व मुरब्बा नम्बर 64/52 की भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटित की गई है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने जरिये बैयनामा वादगत भूमि खरीद की हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वर्ष 1984 में 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 01–12–1993 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 22 बीघा भूमि का सक्षम घोषित किया था। जिसके पश्चात आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24–03–2002 को चक 4 आरएम के मुरब्बा नम्बर 119/49 की 25 बीघा भूमि जरिये लोटरी आवंटन की थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त लोटरी की पर्ची भी संलग्न है। उक्त आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित होने/मोहरबन्द श्रेणी में आरक्षित होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्यत्र भूमि देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पेशी में ली जाकर दिनांक 30–04–2018 को अपीलाधीन आदेश से वादगत भूमि का आवंटन कर दिया गया जिसकी पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाये जाने के पश्चात खातेदारी सनद जारी कर दी गई। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी खातेदारी भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही विधिपूर्ण है।

जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, अपीलांट प्रस्तुत अपील में हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि अपीलांट ने वादगत भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है परन्तु अपीलांट ने अपनी अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की लोकस स्टेण्डाई ही हासिल नहीं है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आगे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपील स्पष्ट तौर पर मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये है वो मिथ्या कथन है। मियांद बाहर अपील प्रस्तुत किये जाने से मियांद कण्डोन करवाने हेतु प्रत्येक दिन का सारवान कारण अंकित करना होता है। परन्तु अपीलांट द्वारा ऐसा कोई कथन अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील मियांद बाहर प्रस्तुत किये जाने से मियांद के बिन्दु पर खारिज की जावे।

5. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विनिश्चय किया जाना है। अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नही है, इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपील स्पष्ट तौर पर मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में स्पष्ट तथ्य अंकित नही किये है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश नहीं की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में लोकस का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा वादगत भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जो आदिनांक तक जैरकार है। इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि यदि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तो उसकी प्रति अपीलांट को अपील के

राजस्व अपील अधि...
बीकानेर

साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि पत्रावली पर ऐसा कोइ दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलाधीन आदेश पारित हुआ तब अपीलांट का कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित हो। इस सूरत में अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है, यह साबित नहीं होता है। अपीलांट अपीलाधीन अराजी में अपनी हितबद्धता साबित करने में विफल रहे है। आवंटन सही/गलत हो सकता है परन्तु अपील केवल व्यथित पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की लोकस स्टेण्डाई हासिल नहीं है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, राजकीय अभिभाषक की बहस के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 09–03–1984 को बतौर भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का फोटो फार्म तहसीलदार द्वारा तस्दीक होने के पश्चात दिनांक 01–12–1993 को प्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमिहीन सी श्रेणी में 22 बीघा भूमि पाने के लिए सक्षम घोषित किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं होता है किन्तु पत्रावली में एक लोटरी की पर्ची सलंग्न है जिस पर दो हस्तलेखनी से प्रार्थी का नाम एवं आवंटित भूमि का वर्णन किया गया है। उक्त लोटरी में अभिलिखित भूमि/कार्यवाही का आदेशिका में किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है तथा ना ही उक्त भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया गया है अथवा आवंटन आदेश पत्रावली में नहीं है। तत्पश्चात प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आंवटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कोई दिनांक अंकित नही है तथा ना ही आवंटन अधिकारी अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई प्राप्ति अंकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न आदेशिका दिनांक 25–04–2018 में उक्त प्रार्थना पत्र का हवाला दिया गया है जिसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में आवंटित भूमि के बदले अन्यत्र भूमि देने का आदेश प्रदान किया गया है तथा पत्रावली आगामी आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में पेश होने हेतु लिखा गया है। उसके पश्चात दिनांक 30–04–2018 को आवंटन सलाहकार समिति की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1

1

बैठक का अंकन किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में आवंटित भूमि की जगह अपील में वर्णित अराजी का आवंटन किया गया है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक छायाप्रति गजट की प्रस्तुत की गई है जिसमें अपील में वर्णित भूमि मोहरबंद आवंटन की श्रेणी की बताई गई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि अपील में वर्णित भूमि किस श्रेणी की है तथा अपीलाधीन आदेश से आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में आवेदित समान श्रेणी की है अथवा नही?

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार पूगल को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर जांच करे:–

अ. क्या अपील में वर्णित भूमि सामान्य श्रेणी में आवंटन की जा सकती है?

ब. क्या अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा नही?

स. क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वर्णित पूर्व में आवंटित भूमि दिनांक 24–03–2002 आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गई है अथवा नही?

द. क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में हुए आवंटन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता की गई है अथवा नहीं?

जांच में यदि आवंटन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित भूमिधारक (तहसीलदार) द्वारा प्रकरण में नियम 22(3) की कार्यवाही जिला कलेक्टर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करवावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16-07-2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर